

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -328

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2021-01587

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "शुभ साईं हेरिटेज" प्रमोटर-साईं इंटरप्राईजेस, पता-शॉप नं.-10, प्रशासनिक भवन, मजार के पीछे, पुराना बस स्टैण्ड, जिला-दुर्ग (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"शुभ साईं हेरिटेज" बोरसी, जिला-दुर्ग (छ.ग)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
24/08/2023	<p>– प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>– अनावेदक/प्रमोटर द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट "शुभ साईं हेरिटेज" छ.ग. रेरा पंजीयन क्रमांक-PCGRERA060219000909 के रूप में दिनांक 06.02.2019 को पंजीयन कराया गया है। परन्तु अनावेदक द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11 में सहपठित प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, दिनांक 28.09.2018 एवं क्रमांक-22/रेरा/2018/676, दिनांक 03.11.2018 के अनुसार त्रैमासिक अद्यतन करने व अन्य आवश्यक प्रकटीकरण नहीं किये जाने के कारण अनावेदक के विरुद्ध अधिनियम की धारा-61 व धारा-63 अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।</p> <p>– प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं लंबित अनुपालनों को पूर्ण करने हेतु समुचित अवसर भी प्रदान किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेजों व प्रमोटर द्वारा वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अनावेदक ने दिनांक 30.09.2021 तक की अवधि हेतु ही त्रैमासिक अद्यतन किया है। प्रमोटर को प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 09.07.2021 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा चुका है। प्रमोटर द्वारा ब्रोशर वेबपोर्टल पर अपलोड करते हुये वित्तीय वर्ष 2021-2022 तक वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। यहाँ यह भी उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि प्राधिकरण द्वारा वर्तमान प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा धारा-4(2)(i)(D) का उल्लंघन किये जाने पर धारा-60 अंतर्गत रूपये 1,000/- की शास्ति अधिरोपित की थी, जिसे अनावेदक ने निर्धारित शासकीय मद में जमा कर दिया है। अनावेदक ने त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों को सुधार कर</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -328

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2021-01587

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "शुभ साईं हेरिटेज" प्रमोटर-साईं इंटरप्राईजेस, पता-शॉप नं.-10, प्रशासनिक भवन, मजार के पीछे, पुराना बस स्टैण्ड, जिला-दुर्ग (छ.ग)
प्रोजेक्ट-"शुभ साईं हेरिटेज" बोरसी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>प्राधिकरण के वेबपोर्टल में अपलोड कर दिया है। अनावेदक ने प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों एवं परिपत्रों का अनुपालन किया जा चुका है। अनावेदक द्वारा त्रैमासिक अद्यतन एवं अन्य लंबित अनुपालन पूर्ण लिये जाने उपरांत प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त किया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none">- आदेश खुले न्यायालय में घोषित।- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में भेजा जावे। <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	